प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2014-15/OG-GO/

दिनांक / Date : -02-2015.

To
The Director of Treasuries and Accounts
Andhra Pradesh State
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Forwarding of copy of Clarification Regarding FP Under Rule62(iii) of RCS (Pension) Rules 1996.for Rajasthan pensioners.

Ref: 1. Govt of Rajasthan No F12(3)FD(Rules)2010/Pt.I dt 07.11.2014.
2. PAG (A&E) Rajasthan lr NoPA/Order/2014-15/5068/ Dt 12.01-2015.

***

I am to enclose herewith a copy of orders of state Govt. of Rajasthan and received from The Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, under special seal authority in the reference second cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action as per the orders in the cases where it is applicable.

Yours faithfully

Sr.Accounts Officer

Copy to

1. The Joint Director
   HQR Treasury
   Tilak Road, Abids
   HYDERABAD for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

118078215
13/1

359929
3/2

विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत
रजिस्टर्ड डाक द्वारा

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः-पेंशन प्राधिकृति/आदेश/2014-15/ दिनांकः-

5068
12.1.15

समस्त प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक)
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
500004

विषयः- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) 1996 के निमय 62(III) के अन्तर्गत वृद्धि दर से भुगतान करने के संबंध में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ.12 (3) एफ.डी./रूल्स/2010 पार्ट - I दिनांक 7.11.2014 की प्रतिलिपि भिजवाने बाबत ।

संदर्भः- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ 5(254) नि.पे.वि./नियम/2014-15 (2011-पार्ट -I)/1529-80 H दिनाक 25.11.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित क्रम में राजस्थान राज्य वित्त विभाग के पत्र संख्या 07.11.2014 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । जिन पेंशन प्रकरणों में पेंशनर की की आयु 65 वर्ष से कम होने के कारण पारिवारिक पेंशन का बढ़ी हुई दर से भुगतान बन्द हो गया है उन मामलों में दिनांक 24.09.2014 से पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने या 7 वर्ष होने तक जो भी पहले हो तक परिवार पेंशन का भुगतान बढ़ी हुई दर से किया जाना है, परन्तु दिनांक 24.09.2014 से पूर्व की बकाया राशि देय नही है ।

अतः कृपया आपके क्षेत्राधिकार के अधीन समस्त कोषाधिकारियों/पेशन भुगतान अधिकारियों एवं बैंक के शाखाधिकारियों के माध्यम से नियमनुसार भुगतान की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करें एवं दिनांक 23.09.2007 के बाद सेवानिवृत/सेवा में रहते मृत्यु के मामलों में जारी सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों में निम्न प्रविष्टि की जावें -

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ12(3) वित्त निमय/2010 पार्ट-I दिनांक 24.09.2014 के अन्तर्गत बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन की भुगतान की तिथि .... के स्थान पर ....की गयी भुगतान अधिकतम 7 वर्ष तक किया जायेगा, 65 वर्ष की आयु के बाद दिनांक 23.09.2014 तक की बकाया राशि देय नही है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

OGP

भवदीय,

लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर
दूरभाष : 0141–2741687, 2740694 फेक्स : 2740678
ई–मेल : dir-pen-rj@nic.in

क्रमांक : एफ.5(254)निपेवि / नियम / 2014–15 (2011-पार्ट I) 1529-80 H दिनांक : 25-11-2014

1. महालेखाकार,
लेखा एवं हक,
राजस्थान।

2. समस्त कोषाधिकारी,
.... ।

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) 1996 के नियम 62 (iii) के अंतर्गत वृद्धि दर से भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(3)वित्त / नियम / 2010 पार्ट–I दिनांक 24.09.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग के पत्र दिनांक 07.11.2014 की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। इससे स्पष्ट होगा कि जिन प्रकरणों में पेंशनर की आयु 65 वर्ष से कम होने के कारण पारिवारिक पेंशन का बढी हुई दर से भुगतान बन्द हो गया उन मामलों में दिनांक 24.09.2014 से पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने या 7 वर्ष होने तक जो भी पहले हो तक परिवार पेंशन का भुगतान बढी हुई दर से किया जाना है। परंतु दिनांक 24.09.2014 से पूर्व की बकाया राशि देय नहीं है।

कृपया संशोधित नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही कराने की व्यवस्था की जावे। दिनांक 23.09.2007 के बाद सेवानिवृति / सेवा में रहते मृत्यु के मामलों में जारी सभी पेंशन / पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों के निम्न प्रविष्टि की जावे :–

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(3)वित्त / नियम / 2010 पार्ट–I दिनांक 24.09.2014 के अंतर्गत बढी हुई दर से पारिवारिक पेंशन के भुगतान की तिथि .... के स्थान पर .... की गयी भुगतान अधिकतम 7 वर्ष तक किया जावेगा, 65 वर्ष की आयु के बाद दिनांक 23.09.2014 तक की बकाया राशि देय नहीं है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

10410
15 DEC 2014
Rajasthan, JAIPUR-302 005

भवदीय

(डी.के. मित्तल)
निदेशक

क्रमांक : एफ.5(254)निपेवि / नियम / 2014–15 दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या एफ.12(3)वित्त / नियम / 2010 पार्ट–I दिनांक 24.09.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक, पेंशन एंव पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय – अजमेर, बीकानेर जोधपुर, कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर एवं उप निदेशक / सहायक निदेशक, पीआर 1–4, 2–6, 3 एवं 5–7, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि दिनांक 23.09.2007 के बाद सेवानिवृति / सेवा में रहते मृत्यु के मामलों में जारी सभी पेंशन / पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों में बढी हुई दर से भुगतान करने की तिथि पेंशनर की आयु 67 वर्ष के आधार पर अंकित की जावे।
3. तकनीकि निदेशक, एन. आई. सी., कार्यालय हाजा को सोफ्टवेयर में उचित संशोधन करने हेतु प्रेषित है।

निदेशक

(50)

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(254)निपेवि / नियम / 2011 / पार्ट–I   1374-H   दिनांक : 08.10.2014

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (नियम) विभाग,
राज० जयपुर।

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62(iii) क व ख में संशोधन।

संदर्भ :– आपका पत्रांक एफ. 12(3)वित्त / नियम / 2010 / पार्ट–I दिनांक (19)09.2014 24.

महोदय,

उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना दिनांक 24.09.2014 द्वारा पेंशन नियम 62 में संशोधन कर तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त संदर्भ में निवेदन है कि जिन पेंशनरों की आयु 65 वर्ष पूरी हो जाने के कारण पेंशनर की मृत्यु उपरांत पारिवारिक पेंशनर को पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर से भुगतान प्रारंभ हो गया है परंतु दिनांक 24.09.2014 तक उस की आयु 67 वर्ष नहीं हुई है, उन मामलों में वृद्धि दर (Enhance Rate) पुनः प्रभावी करने के संबंध में अधिसूचना में उल्लेख नहीं है। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करावें कि ऐसे पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन की वृद्धि दर (Enhance Rate) से पुनः भुगतान प्रारंभ होगी या सामान्य दर से ही भुगतान किया जाता रहेगा।

भवदीय

डी. के. मित्तल
(निदेशक)
7/10

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

From :- The Sepcial Secretary,
Finance (Budget)

To :- The Director,
Pension and Pension Welfare Department
Rajasthan, Jaipur.

F.12(3)FD/Rules/2010/Pt.I Jaipur, dated 7 NOV 2014

Sub :- Clarification regarding family Pension under Rule 62(iii) of RCS (Pension) Rules,1996.

Sir,

I am directed to refer your letter No. F.5(254) निपेवि/नियम/2011 पार्ट-I/1374-H dated 08.10.2014 on the subject cited above and to say that in the cases of family pensioners whose family pension has been reduced from enhanced family pension to ordinary family pension due to attaining the age of 65 years of the deceased Government servant, had he survived, in such cases enhanced family pension may be restored from 24.09.2014 to the age of 67 years of the deceased Government servant, had he survived or seven years whichever period is shorter.

It is also clarified that for the period prior to 24.09.2014 no arrear of family pension shall be payable.

Yours faithfully,

(Sandhya Sharma)
Joint Secretary-II, FD(Rules)

H:/Jain Ji/Jain Ji..Order..00..Sameer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No. F. 12(3) FD/Rules/2010 Part -I Jaipur, dated : 24 SEP 2014

NOTIFICATION

Sub :- Amendments in Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Artical 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely :-

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2014.

2. These rules shall come into force with immediate effect.

3. In the aforesaid rules – the existing words and figures "age of 65 years" appearing in clause (a) and (b) of sub-rule (iii) of Rule 62 shall be subsituted by the words and figures "age of 67 years".

By order of the Governor,

सिद्धार्थ

(Siddharth Mahajan)
Special Secretary, Finance (Budget)

H:/Jain Ji/Jain Ji..Order..00..Sameer